

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना

पर्यावरणीय तथा सामाजिक विश्लेषण और प्रबंधन
फ्रेमवर्क (ईएसएमएफ)

कार्यकारिणी सारांश

जनवरी, 2011

1. परिचय

1. गंगा नदी का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व है। हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इस नदी की लंबाई उत्तरी और पूर्वी भारत के मैदानों में 2,500 किमी. से भी अधिक है। गंगा बेसिन, जो नेपाल, चीन और बांग्लादेश के भागों में भी पड़ता है, में भारत का 26 प्रतिशत भू-भाग, इसके 30 प्रतिशत जल संसाधन और इसकी 40 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या शामिल है।
2. इसका इतना महत्व होने के बावजूद भी, अत्यधिक प्रदूषण दबावों के कारण गंगा की जैव-विविधता तथा पर्यावरणीय सततता को गंभीर खतरा है जिसका इसके प्रवाह पर मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से दुष्प्रभाव पड़ता है। अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत हैं, जबकि प्रमुख शहरों और नगरों में उत्पन्न होने वाले केवल एक-तिहाई सीवेज का ही इस नदी में बहाये जाने से पहले उपचार किया जाता है।
3. भारत सरकार ने पूर्व में सफाई संबंधी पहलें की हैं। ऐसे प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गंगा कार्य योजना थी, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई। इन कार्यक्रमों को जनता की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और जल की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट की दर को रोकने में मिली कुछ सफलता के बावजूद मोटे तौर पर इसे असफल ही समझा गया, जिसके मुख्य कारणों में शामिल हैं :- (i) संस्थागत पहलुओं की ओर अपर्याप्त ध्यान, (ii) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रणालीगत दुर्बलता के निवारण के अपर्याप्त प्रयास, (iii) सततता पर नगण्य बल के साथ निवेशों को अपर्याप्त वरीयता, और (iv) सामुदायिक परामर्श और भागीदारी का अभाव।
4. इन कमियों को महसूस करते हुए, भारत सरकार ने एक बहु-क्षेत्रीय, नदी-बेसिन दृष्टिकोण के माध्यम से इस नदी के व्यापक प्रबंधन हेतु 20 फरवरी, 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया है। एनजीआरबीए ने घोषणा की है कि वर्ष 2020 तक गंगा नदी में कोई भी अनुपचारित नगरीय सीवेज अथवा औद्योगिक बहिस्राव नहीं बहाया जाएगा और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस समय 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की योजना बनाई गई है।

2. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना

5. गंगा पर भारत सरकार के साथ उच्च स्तरीय बातचीत के उपरांत, विश्व बैंक से पर्याप्त वित्त-पोषण एवं ज्ञान संबंधी सहायता के अनेक चरणों के माध्यम से एनजीआरबीए को दीर्घावधिक सहायता उपलब्ध कराने का औपचारिक आग्रह किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय

गंगा नदी बेसिन परियोजना (एनजीआरबीपी), सहायता के ऐसे अनेक चरणों में से पहली परियोजना है।

6. प्रस्तावित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के उद्देश्य हैं (क) एक व्यापक गंगा- सफाई एवं संरक्षण कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए एनजीआरबीए अपनी नवीनतम प्रचालन-स्तरीय संस्थाओं का क्षमता निर्माण करे; और (ख) गंगा में चुनिंदा स्थलों पर सतत उपायों के माध्यम से प्रत्यक्ष-स्रोत प्रदूषण भार को कम करे। इस परियोजना से एनजीआरबीए के इस उद्देश्य को बल मिलेगा कि वर्ष 2020 तक गंगा की मुख्य धारा में उपचार किए बिना कोई मलजल न बहाया जा सके।
7. इस परियोजना में संस्थागत विकास और प्राथमिकता वाले अवसंरचनात्मक निवेशों संबंधी दो संघटक होंगे। पहले संघटक में दूसरे संघटक द्वारा निधियन किए गए अवसंरचनात्मक निवेशों सहित समग्र एनजीआरबीए कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संस्थागत क्षमता निर्माण का प्रयास किया जाएगा।
8. संस्थागत विकास संबंधी पहले संघटक में (i) केन्द्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर एनजीआरबीए की प्रचालन संस्थाओं की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण किया जाएगा; और (ii) एनजीआरबीए कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए संबद्ध संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
9. दूसरे संघटक में नदी में प्राथमिकता वाले स्थलों पर प्रदूषण भार को कम करने के लिए प्रदर्शनात्मक अवसंरचना संबंधी निवेशों का वित्तीयन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह निवेश गंगा को प्रदूषित करने वाले 4 मुख्य क्षेत्रों (मल-जल, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तटाग्र प्रबंधन) में किए जाएंगे।
10. विशिष्ट निवेशों को परिभाषित एवं मूल्यांकित करने की बजाए, इस परियोजना में एनजीआरबीए कार्यक्रम के अन्तर्गत उपाय के सभी चार मुख्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए निवेशात्मक फ्रेमवर्क को विकसित करने पर बल दिया गया है। इन फ्रेमवर्कों में मानदण्ड और गुणवत्ता आश्वासन मानकों को शामिल करते हुए विभिन्न पहलुओं को निर्धारित किया गया है जिनमें पात्रता, प्राथमिकता, योजना, तकनीकी तैयारी, वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण, पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन, दीर्घावधिक प्रचालन एवं अनुरक्षण सततता, सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्थागत क्षमता शामिल हैं। इन फ्रेमवर्कों की सहायता से चुनिंदा और एक गतिशील एवं निरन्तर आधार पर अवसंरचनात्मक निवेश किए जा सकेंगे।

3. पर्यावरणीय एवं सामाजिक विश्लेषण और प्रबंधन फ्रेमवर्क

11. एनजीआरबीए कार्यक्रम से संबंधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों और एनजीआरबीपी के माध्यम से वित्त पोषित किए जाने वाले संभाव्य अवसंरचनात्मक निवेशों को समझने में सहायता करने के लिए, उपलब्ध द्वितीयक सूचना के माध्यम से परियोजना के कार्यकलापों का पर्यावरणीय एवं सामाजिक विश्लेषण (ईएसए) किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर एक पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ईएसएमएफ) तैयार किया गया जो भारत सरकार के पर्यावरणीय विनियमों के साथ सभी परियोजना कार्यकलापों का अनुपालन और विश्व बैंक की नीतियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
12. पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क(ईएसएमएफ) का उद्देश्य एनजीआरबीए द्वारा प्रस्तावित निवेश संबंधी सभी परियोजनाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों के प्रबंधन को सुगमता प्रदान करना है। इस परियोजना में अपनाए गए समग्र फ्रेमवर्क दृष्टिकोण पर विचार करते हुए, ईएसएमएफ द्वारा केवल एनजीआरबीपी में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के सामान्य सम्भाग का ही निवारण किया जाता है क्योंकि विशिष्ट परियोजनाओं हेतु प्रासंगिक सूचना (अर्थात् उनका आकार, प्रकार और स्थल) अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि निवेशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
13. ईएसएमएफ का गठन दो विशिष्ट अनुभागों को मिलाकर किया गया है (i) उपलब्ध द्वितीयक सूचना के माध्यम से तैयार किया गया गंगा बेसिन का आधारभूत पर्यावरणीय और सामाजिक प्रोफाइल (खण्ड - 1) और (ii) विस्तृत पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (खण्ड-2) जिससे एनजीआरबीपी में विभिन्न उप परियोजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करते समय अपनाई जाने वाली नीतियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध होती हैं। निम्न खण्डों में ईएसएमएफ के इन संघटकों का सारांश दिया गया है।

4.0 गंगा का पर्यावरणीय एवं सामाजिक विश्लेषण

14. गंगा नदी (2525 किमी.की लंबाई) में उत्तर में हिमालय की हिम चोटियों और दक्षिण में प्रायद्वीपीय उच्च भूमि तथा विंध्य श्रेणी द्वारा घिरे हुए विस्तृत क्षेत्र का पानी गिरता है। इस बेसिन में चार देशों: भारत, नेपाल, बांग्लादेश और चीन में फैला 1 मिलियन वर्ग किमी. से भी अधिक का क्षेत्रफल (1,186000 वर्गकिलोमीटर) शामिल है। भारत में ही 861,404 वर्गकिलोमीटर के साथ गंगा बेसिन भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है जिसमें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.22 प्रतिशत भाग शामिल है।
14. भारत में गंगा अनुमानतः 125 मिलियन की जनसंख्या के साथ ग्यारह राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) और 1949 शहरों/नगरों से होकर बहती है। गंगा बेसिन में औसत जनसंख्या घनत्व भारत के लिए 312 की तुलना में प्रतिवर्ग किमी. 520 है। इस बेसिन में दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, पटना, आगरा, मेरठ, वाराणसी और

इलाहाबाद के प्रमुख नगर अवस्थित हैं। इन 10 राज्यों में 80 मिलियन जनसंख्या (बेसिन में 64%) उत्तर प्रदेश में है जो 17 जिलों में फैली है।

4.1 गंगा का मार्ग

15. गंगा नदी गंगोत्री से गोमुख ग्लेशियर के हिम-गुहा से गढ़वाल हिमालय में भगीरथी के रूप में निकलती है। यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने तक हिमालय से होकर बहती है। इस सम्मिलन के नीचे भगीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है।
16. गंगा के पानी का उपयोग इसके मार्ग में बड़े पैमाने पर घरेलू, औद्योगिक और सिंचाई उद्देश्यों हेतु किया जाता है। गंगा के पानी का अन्य प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। सिंचाई के लिए पानी को उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के मैदान के प्रमुख भाग की सिंचाई हेतु हरिद्वार में अवस्थित ऊपरी गांगेय नहर नेटवर्क और नरोड़ा के निकट अवस्थित निचली गांगेय नहर के माध्यम से भेजा जाता है।
17. कन्नौज में रामगंगा के मिलने तक गंगा में कोई प्रमुख सहायक नदी नहीं मिलती है। इलाहाबाद में (स्रोत से 1020 किमी. दूर) गंगा नदी में दायीं ओर से यमुना नदी आकर मिलती है और इसके बाद अनेक प्रमुख सहायक नदियां जैसे टोन्स, सोन, गोमती, घाघरा, गण्डक, बूढ़ी गण्डक और कोसी मिलती हैं। अंत में गंगा राजमहल से आगे फरक्का में अपने डेल्टा के शीर्ष पर पहुँचती है।

4.2 बेसिन विशेषताएं

18. गंगा बेसिन को आठ भू-आकृतिक प्रभागों में विभक्त किया जा सकता है और यहां अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है। उत्तर में उच्च हिमालय की मृदा का लगातार कटाव हो रहा है और गांगेय गर्त बन जाती है जिसमें हजारों मीटर तलछट की मोटी परतें जमा होती हैं और जो एक चौड़ी घाटी वाला मैदान बन जाता है। दक्षिण के पठार में प्रायद्वीपीय शील्ड के प्राचीन चट्टानों के अपक्षय के कारण उत्पन्न विविध प्रकार की मोटाई की अवशेष मृदा के प्रावार (मेंटल) हैं।

4.3 भू-उपयोग

19. गंगा बेसिन के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में अत्यधिक खेती की जाती है जो भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत है। लगभग 14 प्रतिशत भूमि खेती के लिए उपलब्ध नहीं है और इसका उपयोग विभिन्न गैर-कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। यद्यपि, कुल बुआई क्षेत्र, गंगा बेसिन राज्यों के क्षेत्र का 50 प्रतिशत है, फिर भी कुल कृषित क्षेत्र और कृषि योग्य भूमि बेसिन राज्यों के क्षेत्र का क्रमशः 73 प्रतिशत और 65 प्रतिशत है। गंगा बेसिन

के अंतर्गत आने वाले राज्यों के पास सम्पूर्ण भारत, जहां 21.2% भूमि वनाच्छादित है, की तुलना में केवल 16.6% भूमि में वन हैं। कुछ राज्यों, विशेषकर हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण कम अर्थात् 0.1 से 13.2 प्रतिशत है। गंगा बेसिन के भीतर अधिकांश वन क्षेत्र बहुत अधिक उपयोग के कारण अत्यधिक अवक्रमित हैं। परिणामस्वरूप, गंगा बेसिन में पिछले दशकों में वृक्षों के बहुत अधिक काटे जाने के कारण, वन पारि-प्रणाली अत्यधिक दबाव में है।

4.4 वनस्पति

20. गंगा बेसिन उष्ण कटिबंधी और उप-उष्ण कटिबंधी तापमान क्षेत्रों द्वारा वर्गीकृत है और यहां निम्नलिखित प्रकार की वनस्पति श्रेणियाँ मौजूद हैं।

- उष्ण कटिबंधी नम पर्णपाती वनस्पति जिसमें साल, सागौन, चन्दन लकड़ी, अर्जुन, जरूल, आबनूस, शहतूत, कुसुम सिरिस, पलाश, महुआ, सिमुल और धूप शामिल हैं।
- उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वनस्पति जिसमें बिजासल, लाउरेल, पलाश, खैर और केन्दू शामिल हैं।
- उष्ण कटिबंधी शंकुधारी वनस्पति जिसमें झाड़ झंखाड़ और कुछ झाड़ियों के बिना चीड़ देवदार शामिल हैं।
- हिमालयी शुष्क तापमान वनस्पति में चिलगोजा, देवदार, ओक, मैपल, ऐश, सेल्टिज, पैरोटिआ, ऑलिव आदि शामिल हैं।
- हिमालयी नम-शीतोष्ण में देवदार, स्पूस, मैपल, वालनट, पॉपलर, सिडर, चेस्टनट, बर्च, ओक आदि शामिल हैं।

4.5 पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र

21. जैवमंडल रिज़र्व, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिज़र्व जैसे अनेक पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (सारणी -1) यद्यपि परियोजना स्थलों में नहीं हैं किन्तु बेसिन में स्थित हैं।

सारणी 1 गंगा बेसिन में पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र

नाम	स्थल	राज्य	अभ्युक्तियां
जैवमंडल रिज़र्व			
1. नंदा देवी रिज़र्व	चमोली पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले	उत्तराखंड	
2. सुन्दरवन	उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले	पश्चिम बंगाल	बाघ रिज़र्व
राष्ट्रीय उद्यान			
1. वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान		बिहार	बाघ रिज़र्व
2. बेटला राष्ट्रीय उद्यान		झारखंड	
3. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान		उत्तर प्रदेश	बाघ रिज़र्व

4. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान	हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले	उत्तराखंड	बाघ रिज़र्व
5. कोबार्ट राष्ट्रीय उद्यान	नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले	उत्तराखंड	बाघ रिज़र्व
6. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान	गंगोत्री	उत्तराखंड	
7. गोविंद पशु बिहार		उत्तराखंड	
8. वेली फ्लावरर्स राष्ट्रीय पार्क		उत्तराखंड	
9. बक्सा नेशनल पार्क	अलीपुरद्वार	पश्चिम बंगाल	बाघ रिज़र्व
10. निओरा वेली राष्ट्रीय उद्यान	लावा टाउन	पश्चिम बंगाल	
11. गोरूमुरा राष्ट्रीय उद्यान	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	
12. हीरल राष्ट्रीय उद्यान	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	

22. उपर्युक्त के अतिरिक्त परियोजना में गंगा बेसिन के 11 राज्यों में 134 वन्यजीव अभयारण्य (एनजीआरबीपी के पांच राज्यों में 50) और पश्चिम बंगाल के सुन्दरवनों में कच्छ वनस्पति वन शामिल हैं।

4.7 भूमि अवक्रमण

23. गंगा बेसिन, लवणता के कारण जल अपरदन, रसायनिक प्रस्फोटन और जल-भराव के कारण भौतिक प्रस्फोटन जैसी भूमि अवक्रमण समस्याओं का सामना कर रहा है। यद्यपि मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में अधिक प्रबल है, जल-भराव, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहुत प्रबल है। गहन-कृषिकृत उत्तर प्रदेश में लवणता समस्याएं बहुत प्रबल हैं।

4.8 जनसांख्यिकीय विशेषताएं

24. गंगा बेसिन, विश्व में सबसे अधिक घनत्व वाला और उपजाऊ नदी बेसिन है। यह बेसिन लगभग 800 वर्ग किमी. के क्षेत्र में लगभग 300 मिलियन लोगों का भरण-पोषण करता है जिसमें से लगभग 100 मिलियन लोग नदी और उनकी सहायक नदियों पर सीधे तौर पर निर्भर हैं। गंगा बेसिन विश्व में मानवों के उच्चतम घनत्वों का भरण-पोषण करने वालों में से एक है। गंगा नदी की स्थिति बेसिन के भीतर रहने वाली जनसंख्या द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित थी। गंगा बेसिन में 125 मिलियन की अनुमानित जनसंख्या के साथ 1949 नगर और शहर हैं। गंगा बेसिन में औसत जनसंख्या घनत्व, भारत के लिए (2001 जनगणना) 312 की तुलना में 520 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है।

सारणी 2 : स्थल और जाति के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण

	उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश	बिहार	झारखंड	पश्चिम बंगाल	भारत
कुल जनसंख्या	8,489,349	166,197,921	82,998,509	26,945,829	80,176,197	1,028,610,328
शहरी जनसंख्या का %	25.67	20.78	10.46	22.24	27.97	27.82
ग्रामीण जनसंख्या का	74.33	79.21	89.54	77.76	72.03	72.18

%						
परिवारों की संख्या	2,566,282	34,301,455	16,316,527	5,838,522	20,140,157	193,579,954
परिवारों का आकार	5.3	6.5	6.1	5.6	5.1	5.3
अनुसूचित जनसंख्या का %	17.87	21.15	15.72	11.84	23.02	16.2
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का %	3.02	0.01	0.91	26.30	5.50	8.2
गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का %	लागू नहीं	31.15	42.6	लागू नहीं	27.02	

(स्रोत : भारत की जनगणना 2001)

25. जनसंख्या में लिंग संयोजन, अर्थात्, लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है यद्यपि ये 1991 की तुलना में बढ़ी है किंतु यह पांच राज्यों में से किसी में भी महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं है। तथापि, यह अनुपात उत्तराखंड और झारखंड में राष्ट्रीय आंकड़ों से अधिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात है उसके बाद बिहार और उससे कम पश्चिम बंगाल में। 1981 तक अविभाजित बिहार का अखिल भारतीय लिंग संतुलन की तुलना में उच्चतर लिंग अनुपात था लेकिन यह लिंग अनुपात 1991 में 911 तक कम हो गया। 1981 में 946 के अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट राज्य में महिलाओं की घटती स्थिति को प्रदर्शित करती है। मर्त्यता स्थितियों के खराब हो जाने के अतिरिक्त, इस गिरावट के कुछ कारण उत्तरजीवितता और लिंग चयनात्मक प्रवास के लिए बढ़ता आर्थिक दबाव हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने लिंग अनुपात अखिल भारतीय स्तरों से हमेशा ही नीचे दर्ज किया गया। इन राज्यों से पुरुष प्रवास स्पष्टीकरण का भाग है।

4.9 आर्थिक रूपरेखा

26. जनगणना आंकड़े दर्शाते हैं कि कुल पांच राज्यों में कुल जनसंख्या का एक तिहाई से अधिक मुख्य अथवा सीमांत कार्यकर्ताओं की श्रेणी में आता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 32% और झारखंड में 38% है। परियोजना राज्यों के पास दशकों से आय कमी का गैर-समानुपातिक उच्च प्रभाव था और वहां के निवासियों को आय बढ़ाने के लिए उनके प्रयासों ने मिश्रित परिणाम दिखाए हैं। अधिकांश मामलों में, समूचे देश की औसत में वे पीछे रह गए। इस बात पर ध्यान देते हुए कि भारत की जनसंख्या 1971 में 528 मिलियन से बढ़कर 2001 में 1027 मिलियन हो गई है, ये संख्या में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसी अवधि में परियोजना राज्यों की कुल जनसंख्या 189 से बढ़कर केवल 329 मिलियन ही हुई है। किंचित् भारत में मौजूदा मिलेनियम की शुरुआत में निर्धन लोगों की आधी आबादी (45%) इन राज्यों में रहती है। यद्यपि निर्धन लोगों का अनुपात इन राज्यों में घट रहा है, भारत के लिए घटाव की दर, केवल पश्चिम बंगाल को छोड़कर जहां ये 1990 के अंत तक धीमी होती नजर आई, समूची दर के अनुसार नहीं रही। इस अवधि में न्यून आय की मेहता और शाह (2003) में इंगित की गई एक

महत्वपूर्ण विशेषता जो सारणी 3.16 में प्रदर्शित नहीं है, यह है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर जिसमें अन्य बड़े राज्यों में न्यूनता से 50% अधिक थी, न्यून आय राज्यों, (तब 51 - बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) जिसमें 4 परियोजना राज्य शामिल है, में इसका विस्तार है। सिर्फ परिवारों में पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन जहां जलावन लकड़ी, फसल अवशेष और गाय का गोबर इन सभी पांच राज्यों में प्रयुक्त मुख्य ईंधन हैं, में भी न्यूनता प्रदर्शित हुई।

4.10 साफ - सफाई

27. सभी राज्यों में अधिकांश घरों में शौचालय नहीं हैं। आकड़ें बताते हैं कि राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में साफ-सफाई से संबंधित मूल सुविधाओं और अवसंरचना की कमी है। बिहार और झारखंड राज्य में परिवारों के विस्तार को देखते हुए स्थिति काफी खराब है। सभी राज्यों में उनके 50% से कम परिवारों के घरों में, स्नानघर हैं, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है। सभी राज्यों के अधिकांश घरों में शौचालय नहीं हैं। आकड़े बताते हैं कि राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में साफ-सफाई से संबंधित मूल सुविधाओं और अवसंरचना की कमी है। खराब साफ-सफाई, खुले में मल त्याग जल के प्रदूषण में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। लोगों में कुछ मान्यताएं उन्हें शौचालय का उपयोग करने से रोकती हैं और वे आमतौर पर नालियों के नज़दीक खुले में जाना पसंद करते हैं। खराब साफ-सफाई सुविधाएं निवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं और यह जल गुणता को भी प्रभावित करती है। गंगा नदी की गुणता के लिए खराब साफ-सफाई गंभीर चिंता का विषय है। घरों की बड़ी संख्या निकासी व्यवस्था से रहित है जो कि सभी राज्यों में खराब साफ-सफाई स्थिति का सूचक है जो दर्शाता है कि अपशिष्ट जल जो कि पास के जल निकायों में बह सकता है उसे खुले क्षेत्रों में बहाया जाता है और यह भू-जल प्रदूषण फैला रहा है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहा है।

4.11 समुदायों के पारंपरिक रीति-रिवाज

28. गंगा नदी, प्राचीनतम हिन्दू अभिलेखों - ऋग्वेद में भी उल्लिखित है। हिन्दू गंगा को नदी से ज्यादा देवी के रूप में मानते हैं और इसे अति पवित्र माना जाता है। भारत में इसकी पूजा की जाती है और हिन्दू धर्म में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिन्दूओं का विश्वास है कि कुछ विशेष अवसरों पर इस नदी में स्नान से पापों से क्षमा और मुक्ति प्राप्त करने में मदद मिलती है। दूर-दूराज से लोग अपने संबंधियों की अस्थियों की राख का गंगा जल में प्रवाहित करने आते हैं, इस प्रवाह के पीछे यह मत है कि यह पद्धति स्वर्ग ले जाती है। अनेक स्थान ; जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसमें हरिद्वार और काशी शामिल हैं उन्हें हिन्दूओं के लिए पवित्र माना जाता है। गंगा का धार्मिक महत्व विश्व में किसी अन्य नदी से अधिक हो सकता है। यह पुरातन समय से पूजनीय रही है और आज भी हिन्दू इसे पवित्रतम नदी के रूप में सम्मान देते हैं। यद्यपि हिन्दू धार्मिक स्थल अर्थात् तीर्थ, समूचे उप-महाद्वीप समूह में स्थित है परन्तु जो गंगा पर स्थित है उनका अपना विशेष महत्व है।

4.12 प्रदूषण के मुख्य स्रोत

29. गंगा, अति प्रदूषण दबाव और इसकी जैव-विविधता एवं पर्यावरणीय सततता से संबद्ध खतरों का सामना कर रही है। पिछले दशकों में बेसिन में बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास के खराब प्रबंधन से नदी जल गुणता महत्वपूर्ण रूप से कम हुई है। विशेषतः शुष्क मौसम में जहां नदी का महत्वपूर्ण मध्य भाग जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज से वाराणसी तक बहता है; वहां अल्प प्रवाह के कारण बहुत खराब जल गुणता है। इन दबावों के अतिरिक्त, यह समस्या पर्यावरणीय मॉनीटरिंग और बिन्दु स्रोत प्रदूषण के नियमन से भी जुड़ी है। ये समस्याएं सिंचाई के लिए पृथक्करण के उच्च स्तरों द्वारा और तीव्र हो गईं परिणामस्वरूप प्रदूषित स्राव के लिए नदी की समीकारी क्षमता सीमित हो गई और मन्दी के मौसम में पर्यावरणीय लाभों के लिए कम जल ही बचा। नदी में प्रदूषण के मुख्य स्रोत नीचे दिए गए हैं।
30. **बिन्दु स्रोत प्रदूषण :** प्रदूषण के मुख्य स्रोत अशोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जल हैं। इस समय प्रमुख शहरों तथा नगरों में उत्पन्न लगभग 12,000 एमएलडी सीवेज का केवल एक तिहाई ही नदी में प्रवाहित करने से पहले शोधित किया गया है। सीपीसीबी के अनुसार गंगा की मुख्य धारा से सटे श्रेणी नगरों में 2,637 एमएलडी उत्पन्न सीवेज की तुलना में (अर्थात् 44% शोधन क्षमता) केवल 1,174 एमएलडी शोधन क्षमता है। श्रेणी 1 नगरों में ; जो बेसिन की सहायक नदियों में निपटान करते हैं, यह कमी बदतर है क्योंकि उत्पन्न 907 एमएलडी (अर्थात् केवल 16%) तुलना में केवल 146 एमएलडी शोधन क्षमता मौजूद है। श्रेणी 2 (जनसंख्या 50,000-100,000) नगरों में आमतौर पर शोधन क्षमता मौजूद नहीं है, यद्यपि अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा कम है।
31. **औद्योगिक प्रदूषण :** गंगा में प्रवाहित अपशिष्ट जल की कुल मात्रा में औद्योगिक प्रदूषण का योगदान लगभग 20 प्रतिशत अनुमानित है, तथापि प्रदूषक भार के संदर्भ में इसका योगदान अधिकाधिक होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक प्रदूषित भाग, विशिष्ट औद्योगिक समूहों: अधिकांशतः चमड़ा, लुगदी और कागज़, चीनी, आसवन और पीतल उद्योगों से अशोधित अथवा खराब शोधित अपशिष्ट जल के प्रवाहित होने के कारण है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से रामगंगा और काली नदियां सर्वाधिक प्रदूषित हैं तथा अत्यधिक प्रदूषित भाग के मुख्य धारा के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बनती हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आकलनों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक बहिस्राव की मुख्य मात्रा गंगा में प्रवाहित की जाती है जिसमें से कुल औद्योगिक प्रदूषण भार का लगभग 50 % अकेले 3040 से आता है। गंगा के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय के स्थिति पत्र से यह पता चलता है कि बेसिन में लगभग 478 अत्यधिक प्रदूषण कारी उद्योग 100 कि.ग्र. प्रतिदिन से अधिक बी ओडी आर प्रवाहित करने वाले) और गंगा की मुख्य स्टेक में लगभग 155 उद्योग हैं। जबकि उनमें से अधिकांश (70 प्रतिशत) में बहिस्राव उपचार संयंत्र हैं, इन संयंत्रों का निष्पादन संतोषजनक नहीं है और लगभग 20 प्रतिशत संयंत्रों पर बंद करने का दबाव डाला गया है। लघु और माध्यम उद्योगों औद्योगिक अपशिष्ट जल के लिए साझा बहिस्राव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) का निर्माण किया गया है वे भी डिस्चार्ज मानकों का पूरा करने लायक हैं और न्यायिक आदेशों के अंतर्गत अनुपालन करते हैं। कानपुर क्षेत्र के अनेक चर्म उद्योग पहले ही बंद हो गए हैं।

32. **अप्रत्यक्ष स्रोत प्रदूषण :** अप्रत्यक्ष स्रोत गंगा में जल प्रदूषण के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि (समान और पशुधन अपशिष्ट बहाने से तथापि ऐसे अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्रदूषकों के प्रदूषण और, समय और रूझान के बाद में अधिक सूचना/आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

5.0 एनजीआरबीपी के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचा

33. परियोजना में पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए दिए गए प्रस्तावित इंटरवेंशनों की विभाजित प्रकृति और परियोजना के लिए अपनाई जा रही पद्धति का समग्र ढांचा, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन ढांचा (ईएसएमएफ) विकसित किया गया है । ईएसएमएफ, परियोजना के तीन महत्वपूर्ण लक्ष्यों का समर्थन करता है (क) 34 परियोजनाओं की सामाजिक और पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना, (ख) राष्ट्रीय पर्यावरणीय और सामाजिक विधान का अनुपालन करना (ग) विश्व बैंक की पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा नीतियों का अनुपालन करना । ईएसएमएफ, एनजीआरबीपी 34 परियोजनाओं के परियोजना चक्र के माध्यम से होने वाले संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन और प्रबंधन करने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं और संस्थानिक जिम्मेदारियों का ब्यौरा देता है और प्रत्येक घटक के अंतर्गत निवेश 34 परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा उपयोग करने और लागू करने का इरादा रखता है।
34. (क) सभी पांचों परियोजना वाले राज्यों और संभावित उप परियोजना वाले शहरों में गंगा बेसिन के मौजूदा पर्यावरणीय और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन, (ख) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत पूर्व में शुरू किए गए इंटरवेंशनों के नमूने की सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल, (ग) संभव उप परियोजनाओं की समीक्षा और (घ) मुख्य शहरों में संभावित मुख्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के आधार पर ईएसएमएफ तैयार किया गया है।
35. उपर्युक्त कार्यकलापों पर आधारित ढांचा महत्वपूर्ण उप परियोजनाओं को (i) व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन की दृष्टि से अपेक्षित परियोजनाओं (ईएसए) और (ii) जेनरिक सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित परियोजनाओं के रूप में श्रेणीबद्ध करता है। उपर्युक्त के अलावा ईएसएमएफ में महत्वपूर्ण उप परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा सामाजिक प्रभावों, (ख) लागू विधिक और संस्थानिक ढांचे का विवरण (ग) पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर आधारित उप परियोजनाओं की स्क्रीनिंग और श्रेणीकरण (घ) उप परियोजनाओं के लिए ईएसए अध्ययन करने पर दिशानिर्देश (ङ) पुनर्वासनीति और भूमि अधिग्रहण ढांचा (च) देशज लोक प्रबंधन ढांचा और लैंगिक विकास ढांचा (छ) शिकायत निवारण तंत्र और (ज) सार्वजनिक परामर्श और प्राकट्य प्रक्रियाओं पर विशिष्ट दिशानिर्देश और (झ) परियोजनाओं में सुरक्षा उपायों के संतोषपरक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन और मानीटरिंग व्यवस्था का भी समावेश है । गंगा बेसिन में उसके सभी हस्तक्षेपों के लिए एनजीआरबीए द्वारा ईएसएमएफ को लागू किया जाएगा ।

36. ईएसएमएफ का उद्देश्य संपूर्ण परियोजनाचक्र के दौरान सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रबंधन साधन उपलब्ध कराना है जो लागू होने योग्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं, संस्थानिक जिम्मेदारियों, कार्य प्रणालियों साधनों और पर्याप्त विश्लेषण, न्यूनीकरण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। ईएसएमएफ में अनिवार्य रूप से (i) परियोजना विवरण (ii) सामाजिक पर्यावरणीय जोखिम के स्तर के अनुसार उप परियोजनाओं के श्रेणीकरण के लिए आसान और प्रभावी कार्यप्रणाली का विवरण, राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधान के अनुपालन और बैंक सुरक्षा उपाय नीतियों के साथ अपेक्षित मूल्यांकनों की पहचान करना (iii) मुख्य सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव (iv) पर्यावरणीय और सामाजिक विनियामक फ्रेमवर्क (V) जनजातीय, लैंगिक और परामर्श ढांचे सहित पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचा; (vi) परियोजना मूल्यांकन, कार्यान्वयन, संस्थानिक मानीटरिंग और रिपोर्टिंग व्यवस्थाएं तथा (viii) पर्यावरणीय और सामाजिक संस्थानिक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए योजना, क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियों का आगे बढ़ाने के लिए गतिविधियों की ऋंखला की पहचान करना तथा उप परियोजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाना शामिल है।

5.1 पर्यावरणीय प्रभाव

37. परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी इंटरवेशन गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार करने के दीर्घावधिक उद्देश्य में साझीदार हैं। इस उद्देश्य से परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव सकारात्मक होने की आशा है। तथापि, उचित ढंग से प्रस्तुत शुरू या संचालित न किए गए इंटरवेशन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये प्रभाव कई कारणों में हो सकते हैं जैसे कि

- (क) पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील स्थानों जैसे कि बाढ़ के मैदानों, नालियों, प्राकृतिक जलाशयों या वन्यजीव अभयारण्यों अथवा अन्य प्राकृतिक पर्यावासों के निकट, दीर्घावधिक प्रभाव बढ़ाने, संभाव्यता अध्ययन के दौरान प्रारंभ में ही वैकल्पिक स्थलों की सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल और विश्लेषण के माध्यम से निराकर किए जाने वाले सीवेज उपचार संयंत्रों, साझा बहिस्राव उपचार संयंत्रों, ठोस अपशिष्ट निस्तारण संयंत्रों जैसी उप परियोजनाओं को संभावित स्थिति
- (ख) प्रस्तावित उप परियोजनाओं, विशेष रूप से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं जिनमें उपचार विधियों में विभिन्न रसासन और पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग किया जाता है और अनुपचारित स्लज तथा अन्य कार्बनिक अपशिष्ट का परिणाम की निस्तारण बेसिन में गंगा और पास के अन्य संवेदनशील पर्यावासों में किया जाता है उसमें उचित उपचार प्रौद्योगिकियों और इन विभिन्न संयंत्रों को डिजाइन करने के दौरान स्लज/ अपशिष्ट निस्तारण और प्रबंधन तथा लीचेट संयंत्रों की संभावित कमी पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना ;
- (ग) गंगा और उसके पास की अन्य जलाशयों में प्रदूषण से बचने के लिए अपर्याप्त पूर्वापार्यों, वायु प्रदूषण, पड़ोस के समुदायों के अत्यधिक शोर और अन्य उपद्रव पड़ोस के फीजिकल सांस्कृतिक संसाधनों से होने वाले कंपन और प्रदूषण प्रभावों; ऑक्सीपेशनल स्वास्थ्य और श्रमिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर उपर्याप्त ध्यान देने सहित उप परियोजना के निर्माण के दौरान निर्माण संबंधी अपशिष्टों के निस्तारण जैसे पर्यावरणीय मुद्दों का अपर्याप्त प्रबंधन

ऐसे सभी मुद्दों का निराकरण जेनेटिक पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सभी निर्माण कार्य संविदाओं में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों के विशिष्ट प्रावधान द्वारा किया जाना चाहिए ।

(घ) उप परियोजनाओं की स्थिति पर निर्भर करते हुए उनके द्वारा विकसित संयंत्रों का अपर्याप्त रखरखाव, निरंतर आगे बढ़ते हुए और या इसके पश्चात् नदी की जल गुणवत्ता में विकृति, परिवेशी पर्यावरणीय गुणवत्ता की विकृति, जलीय और अन्य पर्यावासों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और उप परियोजना के आसपास के समुदायों पर उससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, जिनका निराकरण उप परियोजना स्तर पर पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकनों तथा न्यूनीकरण उपायों द्वारा किया जाना चाहिए और इसे उप परियोजनाओं की संचालन और रखरखाव प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जाना ।

38. अधिकांश मामलों में प्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभाव नगण्य होंगे परंतु उप परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन में स्थल पर और निर्माण स्थलों की परिधि में अप्रत्यक्ष प्रभावों को नजरअंदाज किया जा सकता है । जिन मामलों में अप्रत्यक्ष प्रभावों की संभावनाओं में पूर्ण छूट नहीं दी जा सकती (अर्थात् निर्माण सामग्रियों के स्रोत से संबंधित) प्रबंधन कार्य ईएसएमएफ में प्रभावित हैं और उप परियोजनाओं की तैयारी तथा कार्यान्वयन आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में जिसमें विकल्पों और किए गए परिश्रम की विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक परीक्षण शामिल है ।

5.2 परियोजना के संभावित सामाजिक प्रभाव

39. जबकि परियोजना से गंगा बेसिन के समुदायों के लाभ की आशा की जा सकती है प्रस्तावित उप परियोजनाओं का अपर्याप्त या अनुचित कार्यान्वयन लोगों और स्थानीय भूमि संसाधनों पर दुष्प्रभाव डाल सकता है । उप परियोजना के निर्माण चरण के दौरान ऐसे संभावित सामाजिक प्रभावों में भूमि और इमारतों में हानि, जीविकोपार्जन सहायता के लिए क्षेत्रों तक पहुंचने में बाधा, जन सुरक्षा में कमी, संवेदनशील अभिग्राहकों जैसे स्कूलों और अधिग्रहण प्रक्रिया अस्वीकार्य है या यदि अनुचित ढंग से बनाई गई सीवेज उपचार योजनाओं की दुर्गंध से पड़ोसी समुदायों पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो सीवेज उपचार संयंत्र जैसी मुख्य सुविधाओं के लिए स्थल चयन स्थानीय लोगों के बीच विवादास्पद हो सकता है । इन संभावित सामाजिक प्रभावों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: (i) संपत्ति आय की जीविकोपार्जन का प्रत्यक्ष नुकसान (ii) निर्माण के दौरान जीवन के लिए पहुंच और अवरोधों में प्रत्यक्ष नुकसान और (iii) सीवेज उपचार या लैंडफिल स्थलों से जुड़ी संपत्तियों के मूल्य में कमी होने से संबंधित अनुभव वन्य नुकसान/ संभावित उप परियोजना क्षेत्रों के नमूने की जांच के आधार पर और संभावित कार्यकारी एजेंसियों के साथ विचार विमर्श कर परियोजना से जुड़े जटिल दुष्प्रभावों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (i) निजी स्वामित्व के अधिग्रहण के कारण भूमि की संभावित कमी ;
- (ii) संभावित भूमि अधिग्रहण से जुड़ी/आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित उपयोग के भवनों का पूरा या अंशिक नुकसान;
- (iii) सड़क के किनारे और सीवर से जुड़े क्षेत्रों में निवास कर रहे अतिक्रमण कारियों और या आबादकारों को हटाने की संभावना ;

- (iv) यदि उन्हें हटाया जा सकता है तो उनके जीविकोपार्जन या जीविकोपार्जन के स्रोतों से दूर ले जाने से होने वाला संभावित नुकसान; और
 - (v) निर्माण के दौरान निजी और साझा संपत्तियों का सार्वजनिक अवसंरचना की पहुंच से अस्थाई नुकसान।
40. इन प्रत्येक संभावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों से बचना और कम करना वह आधार है जिस पर ईएसएमएफ और कार्यक्रम दिशानिर्देश तैयार किए गए थे। सार्वजनिक स्तर पर ये प्रभाव लाभप्रद हैं और एनजीआरबीए कार्यक्रम के दिशानिर्देश और नियमित मानीटरिंग प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि ये लाभप्रद प्रभाव आगे बढ़ाए जाएं।

5.3 उप-परियोजनाओं के सुरक्षा उपायों का श्रेणीकरण

41. उप परियोजनाओं के स्थान, आकार और इंटरवेंशनों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए संभावित उप परियोजनाओं का पर्यावरण पर भिन्न भिन्न प्रभाव होगा। प्रभावों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए आवश्यक पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन की सीमा अधिकांशतः उप परियोजना कार्यकलापों की जटिलताओं पर निर्भर करती है। इसे सरल बनाने के लिए एनजीआरबीपी के अंतर्गत परियोजनाओं का पोर्टफोलियो कार्यान्वित किया जाना है उप परियोजनाओं के संभावित प्रभावों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विनियामक आवश्यकताओं और विश्व बैंक की सुरक्षा उपाय नीतिगत आवश्यकताओं की गंभीरता के आधार पर ईएसएमएफ ने उन परियोजनाओं को दो श्रेणियों में बांटा है। कुल मिलाकर ये दो श्रेणियां हैं: (i) आवश्यक विस्तृत पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन (ईएसए) वाली परियोजनाएं और (ii) आवश्यक जेनेटिक सुरक्षा उपाय प्रबंधन योजनाओं का प्रबंधन वाली परियोजनाएं।
42. **I श्रेणी की उप परियोजनाएं :** यदि उप परियोजना द्वारा परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर प्रभाव (दुष्प्रभाव या साधारण रूप से) संभव है और यदि इसमें भूमि अधिग्रहण भी शामिल है तो प्रस्तावित उप परियोजना को श्रेणी I के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा इनमें वे सभी परियोजनाएं भी शामिल होंगी जिनके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ईआईई अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है। श्रेणी I के रूप में श्रेणीकृत उप-परियोजनाओं के लिए एक स्वतंत्र परामर्शदाता (उप परियोजना के लिए या तो संभाव्यता अध्ययन या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में शामिल परामर्शदाताओं के अलावा) विस्तृत पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन विस्तृत उप परियोजना ईएमए) तैयार करना आवश्यक होगा। परियोजना की प्रकृति और परियोजना क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर मूल्यांकन का स्कोप तय किया जाएगा। यह ईएसए, परियोजना के सभी संभावित नकारात्मक और सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की जांच करेगा, संभावित विकल्पों ("परियोजना के बिना" परिदृश्य सहित) के साथ उसकी तुलना करेगा और दुष्प्रभावों को रोकने, कम करने या क्षतिपूर्ति और पर्यावरणीय निष्पादन में सुधार के लिए सभी आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगा। ईएमए में मात्राओं और लागत आकलनों की सूची सहित परियोजना विशिष्ट पर्यावरणीय सूची प्रबंधन योजना (ईएमपी), पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) और सामाजिक प्रबंधन योजना (एसएमपी) के रूप में सुझाए गए सभी न्यूनीकरण उपाय शामिल होंगे। मात्राओं की सूची को संगत रूप में, नीलामी/संविदा दस्तावेज में शामिल किया जाएगा और तदनुसार उसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

43. **II श्रेणी की परियोजनाएं :** II श्रेणी की उप परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जिनका मनुष्यों पर पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव अल्पतम होता है या/या नहीं होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रभाव स्थानीय और अस्थायी स्वरूप के होते हैं। इन अधिकांश मामलों में न्यूनीकरण उपाय ईएसएमएफ और कार्यक्रम दिशानिर्देशों से पहले ही उपलब्ध होते हैं। इन उप-परियोजनाओं में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के भाग के रूप में एक पर्यावरणीय और सामाजिक विश्लेषण की तैयारी और सामान्य पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के संगत भागों का कार्यान्वयन अपेक्षित होगा। जहां भी लागू हो, व्यापक पर्यावरण उपायों को बोली/संविदा दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा और निष्पादन कर रहा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इन उपायों को विधिवत् कार्यान्वित किया जाए।
44. तदनुसूची परियोजनाओं और कार्यक्रमों में विगत हस्तक्षेपों के नमूने की जांच के आधार पर, ईएसएमएफ ने उप-परियोजनाओं के सभी प्रत्याशित प्रकारों को वर्गीकृत किया था। यह वर्गीकरण विचारित की गई संवेदनशीलता और एहतियाती सिद्धांतों और अनुप्रयोज्य विनियामक अपेक्षाओं पर आधारित हैं। तथापि, पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों का उप-परियोजना विशिष्ट कार्य क्षेत्र; वर्ग- I उप-परियोजनाओं की ईएसए के दौरान आवश्यक विश्लेषणों की सही सीमा को निर्धारित करेंगे।
45. यद्यपि पीएमजी और एसपीएमजी वर्ग- II परियोजनाओं हेतु (जब भी स्थानीय समुदायों द्वारा इसकी मांग की जाती है, अथवा यदि स्थल विशिष्ट संवेदनशील मुद्दा उठाया जाता है), विस्तृत ईएसए प्रारम्भ करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वर्ग- I के अनुसार वर्गीकृत की गई उप-परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को वर्ग- II के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वर्ग- I चाहे निम्नलिखित रूप में अभिज्ञात प्रत्येक उप परियोजना के लिए, व्यवहार्यता रिपोर्ट में प्रारम्भिक विस्तारण यह सुझाव देता हो कि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की प्रवृत्ति कच्छ है; तब भी स्वतंत्र परामर्शदाताओं द्वारा इनका विस्तृत ईएसए किया जाएगा। प्रतिकूल प्रवृत्ति के मामलों, जहां विस्तृत ईएसए में निवेश करना सचमुच अनावश्यक हो, ऐसी विस्तृत ईएसए को केवल एनजीआरबीए और विश्व बैंक के साथ करार में डाला ही जा सकता है।

तालिका 3: एनजीआरबीपी उप-परियोजनाओं का सुरक्षोपाय वर्गीकरण

उप - परियोजना	सुरक्षोपाय वर्ग
क. मल निर्यास/स्वच्छता	
1. मौजूदा अथवा नए मल-निर्यास नेटवर्क का विस्तारण (मल-जल पम्पिंग स्टेशनों और/अथवा मल-जल शोधन सुविधा के बिना)	II
2. नए भूमि अधिग्रहण को शामिल करते हुए मल-जल पम्पिंग स्टेशनों और/अथवा मल-जल शोधन संयंत्रों सहित मौजूदा अथवा नए मल-जल नेटवर्क का विस्तारण	I
3. कम लागत के स्वच्छता कार्यक्रम	II
ख. मल-जल पम्पिंग स्टेशन और मल-जल शोधन संयंत्र/सुविधा	
1. नए भूमि अधिग्रहण को शामिल करते हुए नए मल-जल पम्पिंग स्टेशन/सुविधा	I
2. नए भूमि अधिग्रहण सहित नए मल-जल शोधन संयंत्र/सुविधा	I
3. मौजूदा मल-जल पम्पिंग स्टेशन/सुविधा का क्षमता संवर्धन किंतु नए भूमि अधिग्रहण को शामिल न करना।	II

4. मौजूदा मल-जल शोधन संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाना किंतु नए भूमि अधिग्रहण को शामिल न करना ।	II
ग. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	
1. नया साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्र/सुविधा	I
2. नए परिसंकटमय अपशिष्ट को प्राप्त करना, उसका शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा	I
3. आईपीसी प्रौद्योगिकियों प्रयोगिक परियोजनाएं	I
4. अपशिष्ट न्यूनीकरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	II
घ. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	
1. नए भूमि अधिग्रहण के साथ अथवा उसके बिना विखालन (लीचेट) संग्रहण और निपटान सुविधाओं सहित स्वच्छ भू-भराव स्थल	I
2. नए भूमि अधिग्रहण सहित अथवा उसके बिना ठोस अपशिष्ट पृथक्कीकरण और वानस्पतिक खाद की सुविधाएँ	I
3. ठोस अपशिष्ट संग्रहण और ढुलाई परियोजनाएँ	II
ड. नदी तटग्र प्रबंधन	
1. भूमि अधिग्रहण के बिना और जलमार्ग जल विज्ञान से बाधा की संभावना के बिना नदी तटग्र प्रबंधन परियोजनाएँ	II
2. भूमि अधिग्रहण के साथ और/अथवा जलमार्ग जल-विज्ञान से बाधा की संभावना के बिना नदी तटग्र प्रबंधन परियोजनाएँ	I
3. नदी के तटों पर स्थित शमशान घाटों का पुनर्विकास	II
4. नदी तटों के साथ-साथ विद्युत और/अथवा सीएनजी शवदाहगृह	II

46. ईएसएमएफ में (i) श्रेणी I उप-परियोजनाओं जिन्हें उप परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में लाया जा सके; के लिए विस्तृत ईएसए करने के लिए विचारार्थ विषयों के नमूने, और (ii) श्रेणी II उप परियोजनाओं के लिए सामान्य पर्यावरणीय प्रबंध योजना (जीईएमपी) शामिल हैं ।
47. ईएसएमएफ, परियोजना दिशा-निर्देशों को समग्र रूप से संपूरक बनाता है और इसमें निम्नलिखित विशिष्ट कार्य-ढांचे और प्रक्रियाएं शामिल हैं । निम्नलिखित विशिष्ट कार्य-ढांचों और प्रक्रियाओं सहित संपूर्ण ईएसएमएफ; वित्त-पोषण के स्रोत पर ध्यान दिए बिना समूचे एनजीआरबीए कार्यक्रम में लागू होगा ।

- पुनर्स्थापन नीति और भूमि अधिग्रहण कार्य-ढांचा (आरपीएलएएफ);
- स्वदेशी लोक प्रबंधन कार्य-ढांचा (आईपीएमएफ);
- लिंग विकास कार्य-ढांचा (जीडीएफ);
- शिकायत निराकरण कार्य-तंत्र ;

- सार्वजनिक परामर्श और प्रकटीकरण पर विशिष्ट प्रक्रियाएं ;
 - उप-परियोजनाओं के चयन, मूल्य-निर्धारण और कार्यान्वयन को शामिल करते हुए पर्यावरणीय और सामाजिक मॉनीटरन प्रबंध ;
 - परियोजना में पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों को प्रबंधित करने के लिए संस्थागत क्षमता में संवर्धन हेतु योजना ।
48. प्रस्तावित उप-परियोजनाओं के संभावित सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए स्क्रीनिंग कार्यवाही तैयार किया गया है । ईएसएमएफ में विस्तृत कार्य-प्रणाली वर्णित है जिसे स्क्रीनिंग और स्कोपिंग प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लाया जाएगा और यह उन परियोजनाओं की किस्मों को अभिज्ञात करता है; जिनके लिए कार्यान्वयन के दौरान अभिज्ञात उप-परियोजनाओं के रूप में और अधिक सामाजिक आकलन और पुनर्स्थापन दस्तावेज़ अपेक्षित होगा ।

5.4 पुनर्स्थापन और भूमि अधिग्रहण

49. प्राथमिकता प्राप्त कार्यों की प्रारम्भिक सूची के आकलन के अनुसार, निजी भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यकता होगी जिसके परिणामस्वरूप, शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में अनैच्छिक विस्थापन और आजीविका की हानि होगी और इसलिए ओपी 4.12 को प्रवर्तित किया गया है । तथापि, अनैच्छिक पुनर्स्थापना छोटे पैमाने की हो सकती है तथा इससे पूर्ण पुनःस्थापना कार्य योजना को प्रवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होगी । फिर भी, एहतियात के रूप में, ईएसएमएफ की उप-परियोजनाओं का वर्गीकरण किसी अनैच्छिक विस्थापन होने के मामले में की जाने वाली कार्रवाईयों तथा प्रक्रियाओं का वर्णन करता है । यदि किसी मामले में बैंक की नीति 4.12 में परिभाषित अनैच्छिक विस्थापन होता है, परियोजना के आरपीएलएफ में परिभाषित सिद्धांत और प्रक्रियाओं लागू होगी ।
50. ईएसएमएफ के भाग के रूप में, परियोजना के प्रतिपक्ष ने पुनर्स्थापना नीति और भूमि अधिग्रहण कार्यवाही (आरपीएलएफ) को तैयार किया है, जो किसी उप-परियोजना के लिए अपेक्षित पुनर्स्थापना अथवा भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किए जाने वाले प्रक्रियाओं, पात्रता, शिकायत निराकरण और अन्य उपायों को विनिर्दिष्ट करता है (निम्नलिखित तालिका 3 देखें)। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान एक बार कार्य की अवस्थापना की जानकारी होने पर, वैयक्तिक पुनर्स्थापना अथवा भूमि अधिग्रहण योजनाओं को प्रत्येक उप-परियोजना के लिए यथापेक्षित तैयार किया जाएगा । पुनर्स्थापना कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करने से पूर्व बैंक द्वारा उनकी पुनरीक्षा और अनुमोदन किया जाएगा । आरपीएलएफ, परियोजना के अन्य घटकों पर भी लागू होगा, जो बैंक के निर्णय में (क) बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं; (ख) परियोजना दस्तावेज़ों में यथा निर्धारित इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक हैं; और (ग) परियोजना के समसामायिक किया गया, अथवा किए जाने की योजना है ।

तालिका 4 : हकदारी का मैट्रिक्स

प्रभाव की क्षति/किस्म	हकदारी की इकाई	हकदारी	नीति के अनुसार हकदारी
भूमि और संरचना की क्षति - (उपाधिकारी/पारंपरिक/भोगाधिकार हकदार)			
1. कृषि भूमि की क्षति	उपाधिकारी/परिवार	संवेदनशीलों के लिए विशेष उपबंधों की प्रतिस्थापना लागत में प्रतिपूर्ति	<ul style="list-style-type: none"> • प्रतिस्थापना मूल्य पर (अथवा) भूमि हेतु विचार-विमर्श किए गए प्रतिपूर्ति मूल्य पर प्रत्यक्ष खरीद • यदि एपी संवेदनशील समूह से है, यदि एपी ऐसी इच्छा करें, बशर्ते कि समान उत्पादकता मूल्य की सरकारी भूमि उपलब्ध हो, भूमि की प्रतिस्थापना के लिए भूमि के उपायों द्वारा भूमि की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। यदि आबंटित भूमि बंजर भूमि/अवक्रमित भूमि है, तो भूमि विकास प्रभारों के लिए 15,000 प्रति हेक्टेयर की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। • यदि शेष बचे प्लॉट व्यवहार्य न हो, तो प्रभावित व्यक्ति सीमंति किसान बन जाता है, निम्नलिखित दो विकल्पों में से उसे कोई एक विकल्प, उनकी स्वीकार्यता की शर्त पर एपी को दिया जाना है। (क) प्लॉट पर एपी बना रहा है तो अर्जित की जाने वाली भूमि के अपेक्षित मूल्य तक प्रतिपूर्ति और सहायता दी जाएगी। (ख) प्लॉट के शेष बचे भाग सहित समूचे प्लॉट हेतु प्रतिपूर्ति और सहायता प्रदान की जानी है यदि इस प्रकार की भूमि के मालिक की इच्छा है कि उसके शेष बचे प्लॉट भी एनजीआरबी पी द्वारा अधिग्रहित किये जाने चाहिए। • पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी प्रभारों की प्रतिपूर्ति
प्रभाव की क्षति/किस्म	हकदारी की इकाई	हकदारी	नीति के अनुसार हकदारी
2. वास-क्षेत्र और वाणिज्यिक भूमि की कुल हानि और संरचना	उपाधिकारी/परिवार	प्रतिस्थापन लागत पर प्रतिपूर्ति, संवेदनशील किस्मों के लिए विशेष उपबंध	<ul style="list-style-type: none"> • प्रतिस्थापना मूल्य पर (अथवा) भूमि हेतु विचार-विमर्श किए गए प्रतिपूर्ति मूल्य पर प्रत्यक्ष खरीद • प्रभावित संरचनात्मक क्षेत्र की क्षति हेतु प्रतिपूर्ति अवमूल्यन के बिना मौजूदा सम्मत दरों की आधारभूत अनुसूचियों (बीएस आर) के अनुसार गणना किए जाने वाली प्रतिस्थापन लागत, पर की जाएगी।

			<ul style="list-style-type: none"> • 10,000/-रूपये की स्थानान्तरण सहायता • विध्वंस की गई संरचना तथा अग्रभाग आदि से उत्पन्न सामग्री का बचाव अधिकार • किराए संबंधी सहायता अधिकतम तीन/छः महीनों के किराए को कवर करने के अनुदान के रूप में प्रचलित दर के अनुसार की जाएगी । • पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी प्रभारों की प्रतिपूर्ति • स्थानीय निकायों की सीमा के अंदर आवासीय / वाणिज्यिक संरचनाओं की हानि उठा रहें संवेदनशील समूहों और जिनके पास और कोई अन्य आवासीय इकाईयां न होने पर, उन्हें किसी आवासीय स्कीम के तहत मकान के आबंटन में वरीयता दी जाएगी ।
3. वास - क्षेत्र / वाणिज्यिक भूमि और संरचना की आंशिक तौर पर हानि	उपाधिधारी/परिवार	प्रतिस्थापन मूल्य पर प्रतिपूर्ति	<ul style="list-style-type: none"> • विचारित मूल्य पर प्रत्यक्ष विक्री (अथवा) प्रतिस्थापन मूल्य पर भूमि के लिए प्रतिपूर्ति • अवमूल्यन के बिना मौजूदा सम्मत दरों की आधारभूत अनुसूचियों (बीएसआर) के अनुसार गणना की जाने वाली प्रतिस्थापन लागत, प्रभावित संरचनात्मक क्षेत्र की क्षति हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी । • विध्वंस की गई संरचनाओं और अग्रभागों आदि से उत्पन्न सामग्री को बचा कर रखने का अधिकार
प्रभाव की क्षति/किस्म	हकदारी की इकाई	हकदारी	नीति के अनुसार हकदारी
गैर उपाधिधारियों द्वारा संरचनाओं की क्षति			

4. संरचना की क्षति (आबादकारों और अतिक्रमण-कारियों द्वारा अचल सम्पतियां)	परिवार	प्रतिस्थापन लागत पर प्रतिपूर्ति संवेदनशील व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध	<ul style="list-style-type: none"> • आबादकारों को अधिसूचित किया जाएगा और उन्हें उनकी सम्पत्तियों को हटाने के लिए एक महीने का समय दिया । • भूमि के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं । • प्रभावित संरचनात्मक क्षेत्र की क्षति हेतु आबादकारों को प्रतिपूर्ति अवमूल्यन के बिना नवीनतम सम्मत दरों की मूलभूत अनुसूचियों (बीएसआर) के अनुसार गणना की जाने वाली प्रतिस्थापन लागत पर की जाएगी । • आबादकारों के लिए 10,000/- की स्थानान्तरण सहायता । • विध्वंस की गई संरचना से उत्पन्न सामग्री का बचाव अधिकार । • अतिक्रमणकारियों को अधिसूचित किया जाएगा और उन्हें उनकी सम्पत्तियां हटाने और उनकी फसलों को काटने के लिए एक महीने का समय दिया ।
आजीविका की हानि			
5. आय / आजीविका की हानि	व्यापार के माध्यम से उपाधिकारी को आय की हानि हो रही है	पुनर्वास सहायता	<ul style="list-style-type: none"> • जो उपाधिकारी, विस्थापन के कारण अपने व्यापार प्रतिष्ठान को गंवा रहे हैं, उन्हें प्रचलित एमएडब्ल्यू के अनुसार 200 दिनों 3 महीनों के लिए इकाई से आय के लिए प्रदान की जाएगी ।
	कृषि के माध्यम से आय की हानि उठा रहे उपाधिकारी	पुनर्वास सहायता	<ul style="list-style-type: none"> • विस्थापन के कारण आय के प्राथमिक स्रोत गंवा रहे उपाधिकारियों को एमएडब्ल्यू 200 दिनों के लिए प्रचलित के अनुसार प्रदान किया जाएगा । • एपी विकल्प के अनुसार आय उत्पन्न करने वाले प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जाएगी । • यदि उपलब्ध हो और यदि एपी द्वारा ऐसी इच्छा की गई हो तो उप-परियोजना कार्यों में एपी को रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे ।
प्रभाव की क्षति/किस्म	हकदारी की इकाई	हकदारी	नीति के अनुसार हकदारी
	आय का प्राथमिक	पुनर्वास सहायता	<ul style="list-style-type: none"> • 180 दिनों के लिए सम्मत एमएडब्ल्यू के

	स्रोत गंवा रहे आबादकार (एनटीएच)/ कृषि श्रमिक/बटाई दार		<p>अनुसार सहायता प्रदान की जानी ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • एपी को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है । • यदि उपलब्ध हो और एपी द्वारा ऐसी इच्छा की गई हो तो उप-परियोजना कार्यों में एपी को रोजगार अवसर • अथवा • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र/राज्य स्तर के रोजगार कार्ड ।
	लाइसेंसधारी मोबाइल विक्रेता और खोखा चालक	पुनर्स्थापन सहायता	<ul style="list-style-type: none"> • मोबाइल विक्रेता प्रतिपूर्ति अथवा सहायता हेतु पात्र नहीं है; • वे मोबाइल विक्रेता जो प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकरणों से परमिट प्राप्त है, खोखा चालक की तरह माने जाएंगे । • प्रभावित स्थलों से प्रचालन करने वाले लाइसेंसधारी खोखा चालक और विक्रेता लगभग 4,000/- रु. की एकमुश्त सहायता के हकदार होंगे ।
वृक्षों और फसलों की हानि			
6. वृक्षों की हानि	क. भू-स्वामी ख. बटाईदार ग. पट्टाधारी	प्रतिपूर्ति बागवानी विभाग की सहायता से बाजार मूल्य पर आकलन किया जाए ।	<ul style="list-style-type: none"> • फलों की फसल और वृक्ष हटाने के लिए ए पी को अग्रिम नोटिस । • फल देने वाले वृक्षों के लिए अगले 15 वर्षों के लिए औसत फल उत्पादन पर प्रतिपूर्ति वर्तमान बाजार मूल्य पर आकलित की जाएगी । • काष्ठ वृक्षों की प्रतिपूर्ति के लिए वृक्षों के प्रकार पर निर्भर करते हुए बाजार लागत पर प्रतिपूर्ति ।
7. फसलों की हानि	क. भू-स्वामी ख. बटाईदार ग. पट्टाधारी	बाजार मूल्य पर प्रतिपूर्ति कृषि विभाग की सहायता से आकलन किया जाए ।	<ul style="list-style-type: none"> • फसलें उगाने के लिए ए.पी. को अग्रिम नोटिस । • खड़ी फसलों के मामले में औसत उत्पादन पर आधारित पकी फसलों के वर्तमान बाजार मूल्य पर नकद प्रतिपूर्ति पर आकलन की जाए ।
प्रभाव की क्षति/किस्म	हकदारी की इकाई	हकदारी	नीति के अनुसार हकदारी
अन्य प्रभाव			
8. आर्थिक	बीपीएल, एस सी,	विशेष सहायता	<ul style="list-style-type: none"> • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लगभग

रूप से कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त सहायता	एस टी, डब्ल्यू एच एच, अशक्त और अक्षम सहित दुर्बल परिवार		10,000/- रु. की एकमुश्त सहायता (यह ढांचे के अनुसार अन्य सहायता (ओं) के अलावा दी जाएगी।
9. आस-पड़ोस पर अप्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव और भू-भरण और / अथवा एस टी पी के स्थल के कारण भूमि की कीमतों में गिरावट।	समुदाय/ उपाधिधारी	विशेष सहायता	<ul style="list-style-type: none"> • आस-पड़ोस विकास निधि के रूप में उप-परियोजना लागत की पूंजी लागत के एक प्रतिशत का आबंटन। • अधिकारों के अभिलेख में प्रत्येक व्यक्ति को 15, 000/-रु. प्रति हेक्टेयर की दर से परियोजना स्थल के समीपवर्ती आसन्न निजी भू-स्वामियों को एकमुश्त वित्तीय सहायता। • भू-भरण स्थल और/अथवा एस टी पी स्थल के आस-पास हरति पट्टी।
10. सामुदायिक अवसंरचना/ सुख-सुविधाओं की हानि।	समुदाय	विशेष सहायता	<ul style="list-style-type: none"> • सांझा संपत्ति संसाधन और सामुदायिक अवसंरचना, समुदाय के साथ परामर्श में पुनर्स्थापित की जाएगी।
11. निजी और/ अथवा सांझा संसाधन संपत्ति तक पहुंच की हानि	समुदाय/परिवार	विशेष सहायता	<ul style="list-style-type: none"> • वैकल्पिक पहुंच प्रदान करना।

प्रभाव की क्षति/किस्म	हकदारी की इकाई	हकदारी	नीति के अनुसार हकदारी
12. निर्माण के दौरान अस्थाई प्रभाव जैसे कि सामान्य यातायात की विछिन्नता, भारी मशीनरी और संयंत्र स्थल के संचलन के कारण भूमि/संपत्तियों के आस-पास पार्सल को नुकसान	समुदाय/व्यक्ति	प्रतिपूर्ति	<ul style="list-style-type: none"> निर्माण अथवा निर्माण संयंत्र की स्थापना के दौरान मशीनरी के संचलन के कारण संरचना अथवा भूमि पर किसी भी प्रकार के प्रभाव की लागत को ठेकेदार वहन करेगा। प्रस्तावित आर.ओ.डब्ल्यू. के बाहर की भूमि के सभी अस्थाई उपयोग, भू-स्वामियों और ठेकेदारों के लिखित अनुमोदन के माध्यम से किए जाएं। पी ई ए पी ई ए से परामर्श में ठेकेदारों द्वारा निर्माण कैम्पों के स्थल।
13. कोई अन्य प्रभाव जो कि अभी तक अभिज्ञात न हो, यह संपत्ति अथवा आजीविका की हानि हो सकती है।			<ul style="list-style-type: none"> इस नीति कार्य ढांचे में सहमत सिद्धांतों, पर आधारित पर अनदेखे प्रभावों को दस्तावेजित किया जाएगा और इनका उपशमन किया जाएगा।

51. इन उप-परियोजनाओं की अनुमति के दो चरण होंगे- पहला व्यवहार्यता अध्ययन के लिए और तत्पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए। किसी भी उप-परियोजना के लिए उम्मीदवार स्थल अभिज्ञात किए जाएंगे, और यथासंभव उप-परियोजना उद्देश्यों को प्रभावित किए बिना, अनैच्छिक पुनर्स्थापन को न्यूनतम करने और उससे बचने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन द्वारा विकल्पों का विश्लेषण किया जाएगा। व्यवहार्यता अध्ययन की यह प्रक्रिया श्रेणी-1 उप-परियोजनाओं की ई.एस.ए. द्वारा समर्थित होगी। सर्वोत्तम उपयुक्त स्थल निर्धारित करने (अनैच्छिक पुनर्स्थापन को न्यूनतम करने और उससे बचने की आवश्यकता का समावेशन करते हुए) और भूमि अधिग्रहण की सभी आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने के बाद, भूमि अधिग्रहण के लिए विस्तृत परियोजना और अनुसूची तैयार की जाएगी। जैसे ही, व्यवहार्यता रिपोर्ट एस.पी.एम.जी. और पी.एम.जी. द्वारा अनुमत कर दी जाती है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि जहां भी डी.बी.ओ.

संविदाओं का उपयोग किया जा रहा है, वहां विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अथवा वित्तीय समाप्ति को अंतिम रूप देने और उस पर अनुमति देने से पहले; वहां भूमि-अधिग्रहण की प्रारंभिक प्रक्रियाएं (देश भूमि-अधिग्रहण कानून के अंतर्गत " धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना " कही जाएगी) पूरी की जा सकें ।

52. व्यवहार्यता रिपोर्ट पर अनुमति के बाद, प्रत्येक उप-परियोजना के लिए भूमि-अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की जाएगी ("धारा 6, 9 और 11 के अंतर्गत अधिसूचना " जारी की जाएगी) ताकि संविदाओं के जुटाव से पहले, उप-परियोजना हेतु आवश्यक सारी भूमि अधिग्रहण कर ली जाए । इसके समानांतर एक उप-परियोजना पुनर्स्थापन कार्य योजना तैयार की जाएगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और कार्य शुरू करने के लिए मंजूरी की अनुमति की प्रक्रिया के भाग के रूप में पुनर्विलोकित तथा अनुमत की जाएगी । दुर्बल समुदायों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों और परिवारों के लिए विशेष अतिरिक्त प्रावधान के साथ, प्रत्येक हकदार व्यक्ति, परिवार अथवा समुदाय को अदा की जाने वाली पुनर्स्थापन सहायता तथा यदि कोई प्रतिपूर्ति हो तो, उसकी विस्तृत व्याख्या को पुनर्स्थापन कार्य योजना में शामिल किया जाएगा । झारखंड में आदिवासी परिवार के स्वामित्व वाली निजी भूमि अधिग्रहण का अतिरिक्त रूप से संथाल परगना अभिधृति अधिनियम, 1949 के अनुरूप अनुपालन किया जाएगा ।

5.5 स्वदेशी जन

53. ई.एस.एम.एफ. के भाग के रूप में, स्वदेशी जन प्रबंधन ढांचा (आई पी एम एफ) तैयार किया जा रहा है । आई पी एम एफ का उद्देश्य पूरे परियोजना चक्र के दौरान आई पी सहभागिता का प्रभावी संवर्धन करना है । आई. पी.एम.एफ. का सामान्य उद्देश्य, परियोजना में आई.पी. समुदायों को शामिल करना है ताकि उनके संगठन, स्व-प्रबंधन और उनके सदस्यों की एकीकृत क्षमता के सुदृढीकरण के द्वारा उनके जीवन-स्तर में सुधार के लिए; हस्तक्षेपों के उच्चतम संभव सकारात्मक प्रभाव हों। आई.पी.एम.एफ. का विशिष्ट उद्देश्य इन्हें सुनिश्चित करना है : (क) कार्य सांस्कृतिक रूप से सही हों; (ख) समुदाय के सर्वश्रेष्ठ संभ्रांत लोगों तक परियोजना लाभों को सीमित करके प्रदत्त कार्य और सेवाएं अनजाने में असमानता न बढ़ाएं; (ग) स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भ और स्थानीय निर्णायक प्रक्रियाओं के लिए एक उपयुक्त परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से यह परियोजना समुदायों को शामिल करती हों; और (घ) परियोजना के सभी चरणों में विभिन्न आई.पी. और समुदायों के साथ उपयुक्त सूचना-दूरसंचार और विविधता प्रशिक्षण रणनीतियां स्थापित करना ।

5.6 लिंग निर्धारण और विकास कार्य ढांचा

54. लिंग समानता और सशक्तिकरण को मुख्य धारा में लाना; पहले से ही परियोजना का मुख्य क्षेत्र रहा है । उप-परियोजनाओं में आजीविका पुनर्भरण से संबंधी गतिविधियां महिला आवश्यकताओं को अभिभाषित करेगी । ई एस एम एफ के भाग के रूप में परियोजना के अंतर्गत एक लिंग विकास कार्य ढांचा तैयार किया गया है जो उप परियोजना और डिजाइन हस्तक्षेपों को तैयार करने के दौरान लिंग संबंधी मुद्दों के विश्लेषण में मदद करेगा । उप-परियोजना स्तर पर, लिंग विश्लेषण सामाजिक मूल्यांकन का एक भाग होगा और विश्लेषण प्राथमिक डाटा एकत्रण प्रक्रिया और उपलब्ध गौण डाटा के दौरान लिंग विशिष्ट प्रश्नों से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित होगा । मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, लिंग असंकलित डाटा और लिंग असमानता, आवश्यकताओं, अभावों और प्राथमिकताओं के साथ-साथ समझ यदि लिंग आधारित असमान जोखिमों, लाभों और अवसरों के लिए संभावना है

तो इनसे संबंधित मुद्दों को सामने लाएगा। विशिष्ट हस्तक्षेपों पर आधारित तैयार किए जाएंगे और यदि अपेक्षित हुआ तो लिंग कार्य-योजना तैयार की जाएगी। इस परियोजना का समस्त मॉनीटरिंग ढांचा में लिंग असंकलित सूचक और लिंग संगत सूचक शामिल होंगे।

5.7 निर्धनता विश्लेषण

55. परियोजना तैयारी के भाग के रूप में, पांच परियोजना राज्यों में और गंगा की प्रमुख सहायक नदियों सहित जिलों में निर्धनता स्थिति का विश्लेषण मुख्य रूप से उपलब्ध गौण सूचना और वर्तमान साहित्य के आधार पर शुरू किया गया था। परियोजना राज्यों में दशकों से आय निर्धनता की उच्च घटना गैर समानुपतिक रूप से घटित हुई है। इस आय को बढ़ाने के उनके प्रयास ने उनके निवासियों में मिश्रित परिणाम दर्शाए हैं। अधिकांश मामलों में, वे देश की समग्र औसत से पिछड़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार के लिए न्यूनतम औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एम.पी.सी.ई.) है जब कि उत्तराखण्ड में यह व्यय उच्चतम है। उत्तराखण्ड अत्यधिक असमान भी है और खर्च किए गए व्ययों के संबंध में कम से कम बिहार का अधिकाधिक साम्ययुक्त समुदाय (अथवा अधिकाधिक एक समान निर्धन) को महत्व देते हुए निम्नतम लॉरेन्ज अनुपात है। शहरी क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के पास उच्चतम एम.पी.सी.ई. है और उच्चतम समानता है लॉरेन्ज अनुपात (एल.आर.) द्वारा यथा मूल्यांकन किया जाता है। घरों से जल-निकास और एक समान शहरी स्वच्छता के उन्नत प्रावधान परिवारों को लाभदायक हो सकते हैं और ये नदियों में जाने वाले अशोधित अपशिष्ट की कमी/निष्कासन के परियोजना लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक हो सकते हैं। यह विश्लेषण संबंधित राज्यों में अन्यो की तुलना में, प्रमुख गंगा से सटे जिलों को सीधे रूप से सापेक्ष लाभ की ओर इंगित करता है। इस परियोजना के लिए तीन निम्न स्थितियों (और सांतत्यक में अनेक जो इन्हें जोड़ते हैं), प्रत्येक संभाव्य प्रभावों को संभालने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण की अपेक्षा करते हुए: (क) जहां परियोजना गतिविधि निर्धन और/निर्धन और/अथवा संवेदनशील समुदायों को सीधे लाभ देते हैं; जैसे कि शहरी सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और किसान के लाभों को बढ़ावा देना; (ख) परियोजना गतिविधि की रूप-रेखा में कुछ समायोजन के कारण संवेदनशील वर्ग के लिए सीधा लाभ/सकारात्मक प्रभाव होगा, उदाहरण स्वरूप गंगेय डॉल्फिन जैसी प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण में हाशिए में रखे गए मछुवारों को कार्य में लगाना और (ग) जहां परियोजना गतिविधियां, यदि स्थानीय और वर्तमान संवेदनशीलता के लिए बिना किसी चिंता के क्रियान्वित की जाएं तो इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और इसलिए इसके विशिष्ट उपशमन उपायों हेतु अग्रिम आयोजना अपेक्षित होगी; इन स्थितियों में मानव शरीर को खुले में जलाने, जो कि डोमों, ये जातियां गंगा की सहायक नदियों के साथ अत्यधिक संवेदनशील और लाभकारी सामाजिक समूहों में से एक है, की आय का स्रोत है, के मामलों में कमी करना/समाप्त करना शामिल होगा।

56. इस परियोजना के क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष के दौरान, एक बेसिन व्यापक निर्धनता और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (पी.एस.आई.ए.) शुरू किया जाएगा, जिसके लिए विचारार्थ विषय ई.एस.एम.एफ. की तैयारी की प्रक्रिया के दौरान तैयार किए गए थे। पी.एस.आई.ए. के उद्देश्य (क) प्रवासी मजदूरों जैसे निर्धन और अन्य सामाजिक रूप से अलाभकारी समूह के लिए, जहां तक व्यवहार्य हो, परियोजना के लाभों को अधिकतम बनाना और (ख) सामान्य रूप से सरकारों के निर्धनता उन्मूलन प्रयास के लिए इस परियोजना के योगदान को बढ़ावा देना होगा।

5.8 सामाजिक जवाबदेही और शिकायत निराकरण कार्य तंत्र

57. ये प्रमुख दृष्टिकोण वे हैं जो किसी सामाजिक जवाबदेही अथवा सामाजिक आडिट, नागरिकों के कार्यनिष्पादन पर पुर्ननिवेशन प्राप्त करने के लिए नागरिक स्कोर कार्ड तथा रिपोर्ट कार्ड का मार्गदर्शन करते हुए भागीदारी प्रक्रिया के संयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सुधार हेतु उप-परियोजनाओं तथा रिकार्ड अपनाये जाएंगे।
58. एक एकीकृत शिकायत निराकरण कार्यतंत्र (आई.जी.आर.एम.) पी.ई.ए. और एस.पी.पी.एम.यू. दोनों स्तरों पर स्थापित किए जाएंगे जो विभिन्न माध्यमों, (यथा एक समर्पित, टोल फ्री फोन लाईन, वेब आधारित शिकायतों, लिखित शिकायतों और खुले सार्वजनिक दिनों) का उपयोग करते हुए प्रयोक्ता शिकायतों को रजिस्टर करेगा और उसे समयबद्ध प्रणाली के अंतर्गत निराकरण करेगा। इस परियोजना को 2005 के आर.टी.आई. अधिनियम और इस अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुपालित कराए जाएंगे। यह स्वयं समुदायों/लाभ प्राप्त कर्ताओं सहित अग्रसक्रिय प्रकटीकरण और प्रमुख पणधारियों के साथ सूचना के सहभाजन के लिए प्रतिबद्ध होंगे। यह परियोजना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिल बोर्डों, पोस्टरों; दिवार-लेखों और स्थानीय परिपेक्ष्य को सूट करते हुए अन्य किसी विधि के अंगीकरण, लोगिस्टिक्स, मानव और वित्तीय संसाधनों पर बल देते हुए कुशल और प्रभावी उपयोग पर संप्रेषण कार्यनीति होगी।
59. आई.जी.आर. एक के भाग के साथ में, शिकायत निराकरण प्रकोष्ठ (जी.आर.सी.), जहां भी उप परियोजनाओं को नियोजित किया गया है अथवा किया जाएगा, जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकोष्ठ का शीर्ष ख्याति प्राप्त हो परन्तु सरकारी सेवा में न हो। ऐसा व्यक्ति जिला परिषद के सी.ई.ओ. पद से सेवा निवृत्त हो; अथवा कॉलेज प्रधानाचार्या अथवा जिला न्यायधीश; पी डब्ल्यू डी अथवा जल निगम का मुख्य अभियंता आदि, जो सक्रिय सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो चुका हो। इस प्रकोष्ठ के अन्य सदस्य पी.ए.पी. के प्रतिनिधि, पी.ई.ए. के समाज विकास अधिकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं। जी.आर.सी. के अपने उपनियम होंगे और जी.आर.सी. के कार्यों में (i) हर प्रकार से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) की शिकायतों का निराकरण करना; (ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापना सहायता तथा संबंधित गतिविधियां; (iii) जी.आर.सी. केवल आर.एण्ड.आर. और वैयक्तिक शिकायतों संबंधी मामलों का निपटान/सुनवाई करेगी; (iv) जी.आर.सी., खिन्न पी.ए.पी. की सुनवाई के 15 दिनों के अंदर अपना निर्णय/अधिमत देगी; (v) जी.आर.सी. का अंतिम अधिमत जी.आर.सी. के अध्यक्ष/शीर्ष द्वारा जी.आर.सी. के अन्य सदस्यों के परामर्श से दिया जाना शामिल होगा और ये अन्य सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होंगे।

5.9 मॉनीटरन और सूचना कार्यतंत्र

60. पी.एम.जी., संबंधित एस.पी.पी.एम.यू. के माध्यम से ई.एस.एम.एफ. को अपेक्षाओं की प्रति पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए एन.जी.आर.बी.पी. के अंतर्गत अनुमोदित सभी परियोजनाओं का मॉनीटरन करेगा। मॉनीटरन में निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव के सभी चरण शामिल होंगे। यह मॉनीटरन पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा अनुपालन रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा, जो सभी परियोजनाओं और पी.एम.जी तथा एस.पी.पी.एम.यू. के पर्यावरणीय और सामाजिक विशेषज्ञों द्वारा नियमित दौरों के लिए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों का एक भाग तैयार करती है। उपरोक्त

के अतिरिक्त, पी.एम.जी. क्रियान्वयन की सभी उप-परियोजनाओं की वार्षिक ई.एस.एम.एफ. लेखा परीक्षा शुरू करेगा और ई.एस.एम.एफ. के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करेगा। लेखापरीक्षा में श्रेणी 1/उप-परियोजनाओं का कम से कम 50% और श्रेणी 2 परियोजनाओं का कम से कम 20% शामिल किया जाएगा।

61. पी.एम.जी. इन लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करेगी और ई.ए. अथवा एस.ए. रिपोर्टों के अनुपालन के संबंध में तकनीकी, प्रबंधकीय, नीति अथवा नियामक मुद्दों को अभिज्ञात करेगी। अभिज्ञात किए गए तकनीकी मुद्दों को तदन्तर परियोजनाओं में समुचित रूप से शामिल किया जाएगा। नीति और नियामक मुद्दों पर एन.जी.आर.बी.ए. की आंतरिक समीक्षा समिति द्वारा आंतरिक रूप से वाद-विवाद किया जाएगा और समुचित हस्तक्षेप हेतु आवश्यकता निर्धारित की जाएगी। इन हस्तक्षेपों में, यदि आवश्यक/उचित समझे गए, राज्य के कार्यक्रमों की नीति को प्रभावित करने के लिए ई.एस.एम.एफ. दस्तावेज की समुचित समीक्षा अथवा उचित विश्लेषणात्मक अध्ययन शामिल किये जा सकेंगे।
62. परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान - क्रियान्वयन के मध्य में और अंत में दो बार एन.जी.आर.बी.पी. के अंतर्गत तैयार की गई आर.ए.पी. क्रियान्वयन का बाह्य मूल्यांकन भी किया जाएगा।

5.10 ई.एस.एम.एफ. परामर्श और खुलासा

63. ई.एस.एम.एफ. का विकास परामर्शी प्रक्रिया, जोकि महत्वपूर्ण पणधारियों से प्रतिउत्तर मांगता है, पर आधारित है, पुनर्स्थापना और भूमि अधिग्रहण-नीति कार्यवाही, लिंग विकास कार्यवाही और स्वदेशी जन प्रबंधन कार्यवाही सहित ई.एस.एम.एफ. का खुलासा और परामर्श, राष्ट्र और राज्य स्तर पर तैयार किया गया है।
64. प्रक्रिया आरंभ करने के लिए परामर्शों के प्रथम स्तर सितंबर/अक्टूबर 2010 में राज्य स्तरीय पणधारियों के साथ किये गए थे। इसका उद्देश्य सामान्यतः ई.एस.एम.एफ. पर और विशेषकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पुनर्स्थापना कार्यवाही पर राज्यों से सहमति प्राप्त करना था। ई.एस.एम.एफ. पर और विशेषकर पुनर्स्थापना नीति और लिंग कार्यवाही पर प्रभावित समुदायों से प्रतिउत्तर और सुझाव प्राप्त करने के लिए सभी पांच भागीदार राज्यों में दिसंबर 2010 और जनवरी, 2011 माहों के दौरान राज्य स्तरीय परामर्श किए गए थे। जनजाति प्रबंधन कार्यवाही पर विचार करने के लिए झारखंड में विशिष्ट परामर्श आयोजित किए गए थे। जिला-स्तरीय परामर्शों की तिथियां स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी ताकि वे सभी जिनकी रुचि है, वे भाग ले सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। ई.एस.एम.एफ. के सारांश का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है और (केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाइटों पर खुलासा किया गया है।
65. परामर्श एक निरंतर प्रक्रिया होने के कारण एस.पी.पी.एम.यू. और पी.एम.जी. की वेबसाइटों पर ई.एस.एम.एफ. का खुलासा, परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जारी रहेगा। पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) और पुनर्स्थापना कार्य योजनाएं (आर.ए.पी.) भी ई.एस.एम.एफ. खुलासे और परामर्श योजना के सामान्य सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के साथ खुलासे किये जाएंगे। प्रारूप ई.एम.पी. और आर.ए.पी. पर प्रभावित समुदायों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा और अंतिम ई.एम.पी.

और आर.ए.पी. के राज्य और राष्ट्रीय पी.पी.एम.यू. की वेबसाइट पर खुलासे किये जाएंगे । ई.एम.पी. और आर.ए.पी. की प्रतियां कार्यकारी अभिकरणों के कार्यालयों, जिला न्यायधीश और ठेकेदार के कार्यालय में रखी जाएंगी । ई.आई.ए. और आर.ए.पी. के कार्यकारी सारांश का स्थानीय भाषा में अनुवाद भी किया जाएगा और प्रभावित गांवों के ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखा जाएगा । प्रभावित व्यक्तियों की सूची सभी प्रभावित गांवों में सुस्पष्ट स्थान पर चिपकाई जाएगी । ई.एस.एम.एफ. और इसके विशिष्ट दस्तावेज परियोजना क्रियान्वयन विशेषकर उप-परियोजनाओं और विशिष्ट कार्यों को परिभाषित करने और अभिकल्प तैयार करने के दौरान आगे के परामर्शों के लिए दिशा-निर्देश और प्रक्रिया प्रदान करते हैं । ये परामर्श कार्यवाहकों, संभावित जोखिमों का निराकरण करने, गुणवत्ता बढ़ाने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सुव्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं । किसी उप-परियोजना के मूल्यांकन और निष्पादन प्रक्रिया के दौरान वार्ता और खुलासा कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं कि सभी पणधारियों, जो भी कार्यों के प्रभावों से लाभान्वित अथवा प्रभावित हों, उन्हें पूर्व सूचना दी जाए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए । ई.एस.एम.एफ. प्रक्रियाएं, परामर्श को समय आवंटित करते समय और परामर्श को कार्यान्वित करते समय प्रत्येक कार्य के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम के स्तर पर विचार करती हैं ।

5.11 पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन क्षमता का सुदृढीकरण

66. ई.एस.एम.एफ. में संस्थागत क्षमता-निर्माण योजना, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन दक्षताओं, प्रशिक्षण और उपकरण में सुधार को बढ़ाने की ओर लक्षित विशिष्ट गतिविधियों का प्रस्ताव रखती हैं । ये उपाय (क) पर्यावरणीय और सामाजिक नियमों तथा कार्य-विधियों के अनुपालन का पर्यवेक्षण ; (ख) पर्यावरणीय और सामाजिक अध्ययनों, औजारों तथा निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए विचारार्थ विषयों और बजटों को तैयार करना ; (ग) पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के कारण प्रापण इकाई को सहायता ; (घ) संचार इकाई के साथ समन्वय अथवा ई.एस.एम.एफ. की संचार योजनाओं इससे उत्पन्न योजना सहित से संबंधित मुद्दों, जो कोई भी घटना (ड.) पूर्व-स्थापित मानकों के साथ तुलना करने के लिए विशिष्ट सूचकों के अनुसार गतिविधि परिणामों का मॉनीटरन करना, और यदि आवश्यक हो तो ; (च) सुधारात्मक उपायों के प्रस्ताव जैसे पर्यावरणीय और सामाजिक इकाई से अपेक्षित कार्यों के अनुरूप हैं । क्षमता निर्माण के लिए विशिष्ट बजट आवंटित किया गया है और परियोजना क्रियान्वयन के दौरान इसका निष्पादन किया जाएगा ।